–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाम्बिया, पटवार हल्का लाम्बिया, भू.अभि.निरी.क्षेत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. में स्थित खसरा संख्या 1189/5 रकबा 5.7870 किस्म बारानी अव्वल के अधिकार अभिलेख में अंकित प्रविष्ठियां **"कानाराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 1/2 जाति माली, चैनाराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा 8/143 जाती माली, बिदामी देवी पत्नि भूराराम हिस्सा 24/143 जाती माली, सरजुडी पत्नि मोटुराम हिस्सा 79/286 जाति माली"** का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर वादीगण **"गोविन्दराम पुत्र अल्पुराम हिस्सा 1/8 जाती माली, छोटूराम पुत्र आसूराम हिस्सा 1/4 जाति माली रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बलाडा, बंशीलाल पुत्र अल्पुराम हिस्सा 1/8 जाति माली, भुराराम पुत्र आसूराम हिस्सा 1/4 जाति माली रहन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जैतारण, रूपाराम पुत्र आसूराम हिस्सा 1/4 जाति माली स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा निमाज"** को तथा खसरा संख्या 1189/10 रकबा 5.7870 हैक्ट किस्म बारानी अव्वल के अधिकार अभिलेख में अंकित प्रविष्ठियां **"गोविन्दराम पुत्र अल्पुराम हिस्सा 1/8 जाती माली, छोटूराम पुत्र आसूराम हिस्सा 1/4 जाति माली रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बलाडा, बंशीलाल पुत्र अल्पुराम हिस्सा 1/8 जाति माली, भुराराम पुत्र आसूराम हिस्सा 1/4 जाति माली रहन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जैतारण, रूपाराम पुत्र आसूराम हिस्सा 1/4 जाति माली स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा निमाज"** का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर प्रतिवादीगण **"कानाराम पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 1/2 जाति माली, चैनाराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा 8/143 जाती माली, बिदामी देवी पत्नि भूराराम हिस्सा 24/143 जाती माली, सरजुडी पत्नि मोटुराम हिस्सा 79/286 जाति माली"** को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करे। इसी कदर वाद–पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)